रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240475 CG-DL-E-23112022-240475

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5175] No. 5175] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2022/कार्तिक 30, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2022/KARTIKA 30, 1944

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली. 21 नवम्बर. 2022

का.आ. 5403(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दारा निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजनार्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 3193 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में अंतिम रूप से निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः-

#### "3. ।. गैर-सरकारी ज़ोनल सदस्य:

[उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत]

1. श्री मनोज कुमार सिंह

पूर्व ज़ोन

अंशकालिक

2. श्री नागेंद्र रघवंशी

उत्तर जोन

अंशकालिक

#### II. गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य:

[उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत]

7723 GI/2022 (1)

#### अध्ययन विषय

1. डॉ. शिरीष केदारे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंशकालिक

4. प्रत्येक उपर्युक्त ज़ोनल/विशेषज्ञ सदस्य दिनांक 13 जुलाई, 2025 को समाप्त अविध के लिए अथवा आयोग के सदस्य के रूप में बने रहने तक पद धारित करेंगे।"

[फा. सं. ए-43013/1/2022-केवीआई (2)]

विपुल गोयल, संयुक्त सचिव

नोटः मूल अधिसूचना संख्या सा.आ. 3193 (अ) दिनांक 14 जुलाई, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया है।

# MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O.** 5403(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby appoints the following persons as the Members of the Khadi and Village Industries Commission, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 3193 (E), dated the 14<sup>th</sup> July, 2022 namely:-

In the said notification, the following serial number and entries shall be inserted at the end, namely:-

#### "3. I. Non-official Zonal Members:

[Under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the said Act]

Shri Manoj Kumar Singh
 Shri Nagendra Raghuvanshi
 Bast Zone
 Part-time
 Part-time

#### II. Non-official Expert Members:

[Under clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the said Act]

Discipline

1. Dr. Shireesh Kedare Science and Part-time
Technology

4. Each of the above-mentioned Zonal/Expert member shall hold office for a period ending on the 13<sup>th</sup> July, 2025 or till he ceases to be the member of the Commission."

[F. No. A-43013/1/2022-KVI (2)]

VIPUL GOEL, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3193 (E), dated the 14<sup>th</sup> July, 2022.